

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर, शिव (बाड़मेर)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मूलाराम पुत्र मोबताराम जाति कुमावत, निवासी हेमानाडा तहसील शिव जिला बाड़मेर वगैरा (03)		मोबता पुत्र ईसरा जाति कुम्हार, निवासी हेमानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (88,40,188)

मुकदमा नम्बर 33/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

14.03.2022 प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील 88, 40, 188 राजस्थान कारशकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 18.04.2022 को पेश हो।

रजिस्ट्रार
शिव
1864-70
21.03.2022
मोबताराम

18.4.22

पत्रावली पेश हुई।
वादी अधिवक्ता उपस्थित।
वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिफेंस रिपोर्ट पेश की, जिसे सम्मिलित पत्रावली किता गणा। अधिवक्ता ईश्वर सिंह भारी द्वारा प्रतिवादी सज्जों 1 से 5 की ओर से वकालतनामा मय ईश्वराली जवाब पेश किता जिसे सम्मिलित पत्रावली किता गणा। प्रतिवादी सज्जों 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रदान की गई। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सज्जों 6 का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 12.05.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

12.5.22

पत्रावली पेश हुई।
वादी अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सज्जों 6 का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 22.6.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)




8.11.24

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्राथी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व
करण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 16.12.24 को पेश हो।

16.12.24

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित।
पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक
03.02.25 को पेश हो।


सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

03.02.25


पत्रावली पेश हुई। शीमान पीठासीन अधिकारी
के दीर्घ काल में कर : के कारण इत्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 7.5.25 को पेश हो।

07.5.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने
करण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 19.5.25 को पेश हो।

19.5.25


पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20/6/25 को
पेश हो।


सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

20.6.25

पत्रावली पेश। वाकुलान उपस्थित।
वादी वकील द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत नहीं चलने
का लिखित रुफत करते हुए वाद जलिये विद्रो
खारिज करने का निवेदन किया गया, जिस पर
प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान की गई।
अतः उक्त प्रपञ्च अधिवक्ता द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत नहीं
चलने तथा जलिये विद्रो खारिज करने का निवेदन
करने पर वाद हकी स्टेज पर जलिये विद्रो खारिज
किया जाता है।

पत्रावली शामिल दर्ज हो।


सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

वादी/जन
पक्षकार दावा चलाता
नहीं चले ही
कल
दावा विद्रोखारिज
किया जाता है।


20/6/2025